सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 198 राँची ,मंगलवार 17 चैत्र 1937 (श०)

7 अप्रैल, 2015 (ई०)

नगर विकास विभाग

संकल्प

21 मार्च, 2015

विषयः राँची शहर की व्यापक परिवहन योजना **(Comprehensive Mobility Plan)** तैयार करने एवं जन निजी भागीदारी **(PPP)** आधारित मोनोरेल के निर्माण हेतु परामर्शी कार्य के लिए मेसर्स **IDFC** के चयन करने तथा राँची में **Mass Transport System** के तहत् मोनोरेल पर सैद्धान्तिक सहमति के संबंध में ।

संख्या-2/**न**0**वि**0/**विविध** (**Monorail**)-**09/2013-1074--** राज्य की राजधानी राँची की जनसंख्या वर्ष **2011** की जनगणना के अनुसार **10.73** लाख है जिसमें लगातार वृद्धि हो रही है तथा मास्टर प्लान **2037** की समाप्ति तक अनुमानित जनसंख्या-**31.6** लाख होगी। मास्टर प्लान में शहर की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने की योजना प्रस्तावित की गई है जिसके अन्तर्गत **Comprehensive Mobility Plan (CMP)** तैयार करते हुए जन-निजी-भागीदारी **(PPP)** के आधार पर **Mass Transport System** तैयार किया जाना आवश्यक है ।

2. शहरी परिवहन की योजना तैयार करने से पूर्व किसी भी शहर का **Comprehensive Mobility Plan (CMP)** तैयार करना आवश्यक होता है। भारत सरकार द्वारा शहरी परिवहन योजना की स्वीकृति तभी दी जाती है जब उस शहर का **Comprehensive Mobility Plan (CMP)** तैयार हो। इसलिए यह आवश्यक है कि राँची शहर का **Comprehensive Mobility Plan (CMP)** तैयार किया जाय। साथ ही राँची बढ़ती आबादी तथा अन्य राज्यों की राजधानी तथा प्रमुख शहरों में **Mass Transport System** के तहत् **Metro Rail/Mono Rail** का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा **Viability Gap Funding** अथवा अन्य योजनाओं के तहत् सहायता राशि प्राप्त होती है ।

3. राज्य की राजधानी राँची में आवश्यकताओं को देखते हुए **Light Rail Transit System, Monorail System, Metro Rail System** आदि पर विचारोपरान्त तथा शहर में भूमि की अनुपलब्धता, सड़कों के तीखे मोड़ तथा अपेक्षाकृत कम लागत राशि को ध्यान में रखते हुए मोनोरेल का विकल्प बेहतर पाया गया है ।

4. उल्लेखनीय है कि योजना एवं विकास विभाग के संकल्प संख्या-**1757** दिनांक **25** अक्टूबर, **12** जन निजी भागीदारी के माध्यम से राज्य में आधारभूत संरचनाओं से संबंधित परियोजनाओं को तैयार करने हेतु **Transaction Manager** के रूप में कार्य करने हेतु **IDFC** एवं **JINFRA** को **12**वीं पंचवर्षीय योजना अवधि (**2012-17)** तक के लिए राज्य सरकार द्वारा मनोनयन के आधार पर चयनित किया गया है ।

5. योजना एवं विकास विभाग के संकल्प संख्या-**1757** दिनांक **25** अक्टूबर, **12** की कंडिका-**14** में प्रावधानित एवं मुख्य सचिव, झारखण्ड, की अध्यक्षता में गठित राज्यस्तरीय कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक **16** सितम्बर, **2014** को सम्पन्न हुई जिसमें मेसर्स **IDFC** के द्वारा राँची शहर की यातायात व्यवस्था के विकल्प के रूप में मोनोरेल के परिचालन के विभिन्न पहलुओं पर प्रस्तुतिकरण किया गया, जिसके अनुसार यह कार्य निम्नांकित पाँच चरणों में सम्पन्न करने का प्रस्ताव हैः-

- **Stage I- Preparation of CMP.**
- **Stage II- Options studies selection of appropriate transit technology.**
- **Stage III- Feasibility assessment and project structuring.**
- **Stage IV- Bid documentation.**
- **Stage V-Bid process management.**

मेसर्स **IDFC** के अनुसार स्टेज-**1** के साथ स्टेज **2** एवं **3** की भी तैयारी एक साथ किया जा सकता है। स्टेज-**1 CMP** की तैयारी में नौ माह का समय लगेगा। इसके पश्चात् **Bid documentation** तथा **Bid process management** की कार्रवाई मेसर्स **IDFC** के द्वारा की जाएगी ।

दिनांक **16** सितम्बर, **2014** को सम्पन्न राज्यस्तरीय कार्यकारिणी समिति की बैठक में राँची शहर में **PPP** मोड पर मोनोरेल चलाने हेतु मेसर्स **IDFC** को आवन्टित कार्य करने पर सशर्त सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है ।

6. मोनोरेल के निर्माण में प्रति किलोमीटर व्यय **180** करोड़ रूपये सम्भावित है। प्रथम चरण में कुल **10** किलोमीटर परियोजना लिये जाने का प्रस्ताव है जिसकी संभावित लागत **1800** करोड़ रूपये आयेगी। योजना एवं विकास विभाग के संकल्प के अनुसार व्यवसायिक शुल्क **0.375** प्रतिशत देय होगी जो लगभग **6.75** करोड़ रूपये होगी**,** जिसका **10** प्रतिशत **CMP** बनाने पर व्यय होगा। अर्थात राँची शहर के लिए **CMP** बनाने में कुल संभावित व्यय **67.50** लाख रूपये होगी ।

7. **IDFC** द्वारा यह प्रस्ताव दिया गया है कि **IDFC** फाउंडेशन एक **Non-profit making organization** है तथा **IDFC** के **Joint Venture Compnay DIMTS,** शहरी परिवहन व्यवस्था की विशेषज्ञ कंपनी है। अतएव यह कार्य **DIMTS** द्वारा किया जाएगा। सभी **Invoice DIMTS** द्वारा समर्पित किया जायेगा तथा विभाग द्वारा उन्हें ही भुगतान किया जायेगा। किन्तु उपरोक्त वर्णित **5** चरणों की परियोजना के क्रियान्वयन की सारी जिम्मेवारी **IDFC** की होगी। पूरी परियोजना की अवधि डेढ़ वर्ष की होगी**,** जिसे कार्य प्रगति के आधार पर **6** माह तक विस्तारित किया जा सकेगा ।

8. मेसर्स **IDFC** द्वारा **CMP** तैयार करने के क्रम में यातायात के अन्य साधनों को बिना बाधित किये हुए सभी मुख्य स्थलों यथा-रेलवे स्टेशन**,** बस स्टैण्ड**,** मेन रोड**,** एयरपोर्ट आदि को एक दूसरे से कैसे जोड़ा जाय**,** इस पर विचार किया जाएगा ।

9. नगर विकास विभाग एवं **IDFC** के बीच **CMP** तैयार करने एवं उक्त पर आधारित मोनोरेल का अधिष्ठापन हेतु **Memorandum of Understanding (MOU)** किया जाएगा जो दिनांक **16** सितम्बर**, 2014** को सम्पन्न राज्यस्तरीय कार्यकारिणी की बैठक ने लिए गये निर्णयों के पश्चात मेसर्स **IDFC** के द्वारा समर्पित संशोधित **MOU** प्रारूप के आधार पर किया जाएगा जिसपर विधि विभाग की विधिक्षा प्राप्त की जाएगी ।

10. उपर्युक्त प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक **19** मार्च**, 2015** में मद संख्या- **13** के रूप में सम्मिलित करते हुए स्वीकृति प्राप्त की गई है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से**,**

अजय कुमार सिंह,

सरकार के सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 198—50 +100 ।